रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042022-234775
CG-DL-E-01042022-234775

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2022/चैत्र 10, 1944
No. 230] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2022/CHAITRA 10, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

सा.का.नि. 233(अ).—केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के कतिपय नियमों का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 50(अ), तारीख 28 जनवरी, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सभी संभाव्य प्रभावित व्यक्तियों से उस तारीख, जब प्रारूप नियमों से अंतर्विष्ट उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे;

उक्त अधिसूचना की प्रतियां 28 जनवरी, 2022 को जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं;

उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनसाधारण से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (सातवां संशोधन) नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, नियम 115छ के उपनियम (1) में, "अधिसूचना सं. का.आ.1072(अ)" शब्दों, अंकों और कोष्ठक के पहले, "समय-समय पर यथासंशोधित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

[आरटी-11028/3/2021-एमवीएल]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि. 200 (अ), तारीख 14 मार्च, 2022 को संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2022

G.S.R. 233(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 50(E), dated the 28th January, 2022, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on the 28th January, 2022;

And whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Seventh Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in sub-rule (1) of rule 115G, after the words, figures, “the 23rd April, 2015” the words, “as amended from time to time” shall be inserted.

[RT-11028/03/2021-MVL]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* Notification number G.S.R. 200(E), dated the 14th March, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.04.01 17:45:35 +05'30'